


तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मसल

28 ¹¹/₂₀₁₉

पत्रावली पेश हुई

वकील वादी उषा
 वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त
 शक्ति पर वादी का करीब 35 वर्षों ज्यादा लाभ
 कब्जा काश्त-यला आ रहा है इसलिए उक्त वादी
 एडवर्स पेजेशन होने से वादी को प्रतिवादीगण को
 01 व 02 के कामम मुकाम सम्पूर्ण बिधि विवादित भू
 में $\frac{1}{6}$ कब्जा पर वादी को रवातेदा काश्तका
 घोषित किया जावे वादी ने वादी लाने हेतु एवं
 वादी का निर्माण करने हेतु न्याय दृष्टान्त पेश
 किसे वादी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली
 वास्ते निर्माण हेतु आम-दर दि. 12/12/2019 को
 पेश हो


 उपखण्ड अधिकारी
 चम्बुर (पानी)

12 ¹²/₂₀₁₉

पत्रावली पेश हुई

वादी अधिवक्ता उषा

हमने पत्रावली में मौजूद तथ्यों वादी वकील की बहस
 का मनन किया। प्रतिवादी स. 1 का हिस्सा $\frac{1}{2}$ व प्रतिवादी स. 2
 के कामम मुकाम का हिस्सा $\frac{1}{2}$ हिस्सा के लिये पर वादी
 रवातेदा काश्तका घोषित करने के आदेश दिए

रायपुर
2018

हे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
मिसल है। पालनार्थ प्रति अग्नि तट्टी लहसीलदा
रायपुर को जारी हो। पत्रावली में सल शूभाल ५५
नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

50
श्री

